

दाखल ता 17 DEC 2015

महायुक्त अधीक्षक
लोहमार्ग न्यायालय, दौंड

Noted
परिवाद-पत्र

500-3568
11

मा.न्यायदण्डाधिकारी सो प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौंड की सेवा में सविनय आर्द्र

12. RPF थाना :- लोनी
13. मामला रजि.क्रमांक :- 948 /2015.
14. धारा :- 167 रेल अधिनियम
15. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 17.12.2015 को समय 9.20 बजे
16. घटनास्थल :- T.MO 51324 पंजेजर मे उपरली स्टेशन
17. फरियादी का नाम व पता :- आ.प्र.अ. 0701725 विशाल भोवले RPF/थाना/लोनी
18. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- मनोहर सो विठ्ठल विठ्ठल 34 43 वर्ष.
पता- कडेगाँव स्टेशन, तह-दोंड, जि. पुणे.
19. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
20. मा.न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 17.12.2015 को समय 12.00 बजे
21. जांच अधिकारी का नाम व पता :- एच. बी. जावले ASI/SMPF/RPF/थाना/लोनी
22. घटना की संक्षिप्त हकिकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 17/12/2015 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति द्वारा कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से उपरोक्त पंजेजर मे बिग्रेट पिले समुच्च
रेल अधिनियम की धारा 167 उल्लंघन किया है। कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानुनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ति के पास से जप्तशुदा माल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर :- *[Signature]*

मे.हु.को.जा.व्हावे.

संलग्न दस्तावेज :- फरियाद, नोटीस

[Signature]
निरीक्षक
आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

दंड जमा 100/-
पावती नं. 025892000
सहायक अधीक्षक,
लोहमार्ग न्यायालय दौंड

बला गन्हा कबूल नारे

[Signature]

समक्ष

प्रथम वर्ग न्यायावकाशकारी

लोहमार्ग, दौंड.

17 DEC 2015

Under a Plea of Guilt, the accused is found guilty for
the offence of ...
Hence is convicted and Sentenced
to Pay a Fine of Rs. 1,00,000/-
...

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rty.) Daund

17 DEC 2015

कमिश्नरी
निर्देशक, दौंड
Inspector
In-charge, D. A. S. O.